फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय माली समाज का छात्रावास रोड, हीरो शोरूम के पास, सिरोही तथा शाखा कार्यालय मोरचना जिला राजसमन्द जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र जोशी पिता श्री रूपा राम जोशी

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स गरीब नवाज मार्बल्स (प्रो. श्री रमजान खान पठान पिता श्री मोहम्मद खान पठान) गांव पसून्द तहसील व जिला राजसमन्द
2. मैसर्स गरीब नवाज मार्बल्स प्रा.लि. (डाईरेक्टर श्री रमजान खान पठान पिता श्री मोहम्मद खान) गांव पसून्द तहसील व जिला राजसमन्द
3. मैसर्स गरीब नवाज स्टोनेक्स (पार्टनर श्री फिरोज खान पठान, श्री आरिफ खान पठान, श्री आसिफ खान पठान) गांव पसून्द तहसील व जिला राजसमन्द
4. श्री रमजान खान पठान पिता श्री मोहम्मद खान पठान गांव पसून्द तहसील व जिला राजसमन्द
5. श्री फिरोज खान पठान पिता श्री रमजान खान पठान गांव पसून्द तहसील व जिला राजसमन्द
6. श्री आरिफ खान पठान पिता श्री रमजान खान पठान गांव पसून्द तहसील व जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र सिक्यूटराईजेशन पत्रावली संख्या 34/2019

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.09.2019 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने दिनांक: 31.07.2019 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये ऋण करार संख्या 83026718516, 83026697436, 83027471097 के द्वारा 50,00,000 + 50,00,000 + 23,50,000 =1,23,50,000/—रूपयें का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति— श्री रमजान खान पठान पिता श्री मोहम्मद खान पठान के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति खसरा नं0 962, 963 जिसका क्षेत्रफल 10449 वर्गमीटर है जो कि गांव पसून्द जिला राजसमन्द मे स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास रहन किया । अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 30.03.2019 ऋण के भुगतान मे व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन0पी0ए0 घोषित कर दिया है। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 83026718516, 83026697436, 83027471097 मे बकाया रूपये 50,46,985 + 49,34,435 + 23,70,840 = 1,23,52,260/— अक्षरे एक करोड तैईस लाख बावन हजार दो सौ साठ मात्र बकाया रकम व ब्याज दिनांक 05.04.2019 तक शेष व देय निकलते है की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 05.04.2019 को एक नोटिस भी जरिये रजिस्र्टड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किये जो की अप्रार्थीगण को तामिल हो गये परन्तु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया गया है तथा धारा 13(2) नोटिस दिनांकित 05.04.2019 उनकी रजिस्ट्री की रसीदे व अखबारों की फोटो प्रति संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 01 के प्रो0 श्री रमजान खान पठान पिता श्री मोहम्मद खान पठान ने प्रार्थी बैंक के पक्ष मे उक्त ऋण अवधि के पुर्नभुगतान के लिए जो संपत्ति बंधक रखी है। उसका प्रार्थी बैंक मे रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार हैः— श्री रमजान खान पठान पिता श्री मोहम्मद खान पठान के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति खसरा नं0 962, 963	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जिसका क्षैत्रफल 10449 वर्गमीटर है जो कि गांव पसून्द जिला राजसमन्द मे स्थित है तथा जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैः—पूर्व में :—श्री भेरा की भूमि, उत्तर मे :— रास्ता 20 फीट चौडा, दक्षिण में :— श्री असीफखान की भूमि, पश्चिम में :— श्री रमजान खान की भूमि। उक्त संपत्ति का कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जारी सम्परितर्वन आदेश श्री रमजान खान पठान पिता श्री मोहम्म्द खान पठान के पक्ष मे दिनांकित 28.06.2004 को जारी किया गया है। बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व संबंध दस्तावेजात की फोटो प्रति संलग्न है। प्रार्थी बैंक उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उक्त चरण संख्या 05 मे वर्णित सिक्यूरिटी बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। शपथ—पत्र मे वर्णितानुसार इस सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नहीं है।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ—पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अप्रार्थी संख्या 01 के प्रो0 श्री रमजान खान पठान पिता श्री मोहम्मद खान पठान ने प्रार्थी बैंक के पक्ष मे उक्त ऋण अवधि के पुर्नभुगतान के लिए जो संपत्ति बंधक रखी है। उसका प्रार्थी बैंक मे रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार हैः— श्री रमजान खान पठान पिता श्री मोहम्म्द खान पठान के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति खसरा नं0 962, 963 जिसका क्षैत्रफल 10449 वर्गमीटर है जो कि गांव पसून्द जिला राजसमन्द मे स्थित है तथा जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैः—पूर्व में :—श्री भेरा की भूमि, उत्तर मे :— रास्ता 20 फीट चौडा, दक्षिण में :— श्री असीफखान की भूमि, पश्चिम में :— श्री रमजान खान की भूमि।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय सिरोही जिला सिरोही व शाखा कार्यालय मोरचना तहसील व जिला राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय सिरोही व शाखा कार्यालय मोरचना को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

कार्यालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)